न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

पी.डी.आर. प्रकरण सं. 2/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,खण्ड सांचोर		श्री रमेश कुमार पुत्र जोराराम विश्नोई, प्रो. मैसर्स आयूषी इन्टर प्राईजेज, हेड पोस्ट ऑफिस के सामने, माघ कॉलोनी, भीनमाल,जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 4 लोक अभियाचन अधिनियम 1952

पक्षकारान् :–
1.प्रार्थी अनुपस्थित।
2.अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 5.11.2019

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,खण्ड सांचोर पत्र क्रमांक/अअ/जन स्वा./लेखा/2018/878 दिनांक 18.7.2018 से नियम 15 के तहत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, प्रमाणपत्र के अनुसार एक ही कार्य का अनियमित रूप से दोहरा संदिग्ध अनियमित भुगतान राशि रूपये 116640 व राशि रूपये 1038941 दिनांक 30.5.2005 तथा जानबुझकर गलत गणना व योग लगाकर राशि रूपये 233160 दिनांक 30.5.2005 को फर्म द्वारा प्राप्त किया जाकर चालान दिनांक 11.8.2008को राजकोष में जमा कराया गया,उक्त भुगतान पर दण्डनीय ब्याज की राशि क्रमशः रूपये 65747/–,551278/–,व 127286/– जो कुल राशि रूपये 744311/–बनती है, फर्म से वसूलनीय है। अतःअप्रार्थी के विरूद्ध ही प्रकरण दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तारीख पेशी 7.2.2019 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। नोटिस आबाद मकान पर चस्पासुदा प्राप्त हुआ । प्रार्थी व अप्रार्थी दिनांक 7.2.2019 ,27.2.19, 15.3.19, 4.4.19, 2.5.19, 27.5.19, 2.7.19, 30.7.19, 5.9.19, 13.9.19, 4.10.19, 31.10.19 को अनुपस्थित रहे।

3. दिनांक29.1.2019 को डाक से मैसर्स आयुषी ऐन्टरप्राईजेज, मैनेजर श्री जेताराम का पत्र कमांक /2017–2018 / रोकड / भीनमाल / स्पे.1 दिनांक 25.1.2019 बाबत् वसूली प्रकिया निरस्त करवाने प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि 744311 /– फर्म प्रोपराईटर के बैंक ऑफ बडौदा शाखा भीनमाल के खाता सं. 38280100000584 से जारी करवाए गए डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 509756 दिनांक 2.8.2018 बैंक आफ बडौदा शाखा भीनमाल जो कि अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी सांचोर के पक्ष में देय से अग्रिम तौर पर जमा करवा दिया गया है जो नियमानुसार विभागीय खाते के हैड 0215 डिवीजनल कोड 203 पी एच ई डी सांचोर में जरिए चालान जमाकरवाकर विभागीय प्राप्ति रसीद पुस्तक सख्या 1243 रसीद सं.01 दिनांक 10.8.2018 प्राप्त कर ली गई है। अतःवसूली की कार्यवाही निरस्त करावे।

4. कार्यालय अधिशाषी अभियंता,जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड सांचोर का पत्र कमांक / अ.अ. / जन स्वा. / 2018–2019 / 1909 दिनांक 27.2.19 से सूचना प्राप्त हुई कि फर्म मैसर्स आयुषी इन्टर प्राईजेज भीनमाल द्वारा दण्डनीय ब्याज जरिये डी.डी. नं.509756 दिनांक 2.8.2018रू. 744311 /–उनके कार्यालय में जमा करवा दिये है, अतः उक्त प्रकरण का निस्तारण होने से कार्यवाही करावे।

5. दिनांक 24.10.2019को प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर बताया कि इसमें वसूली हो जाने से प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करावे तथा इस सबंध में कोई दावा सिविल न्यायालय में आज दिनांक तक पेश नही हुआ हैं। 6.

6. रैकार्ड का अवलोकन किया।उक्त प्रकरण में नियम 15 के तहत् Requisition certificate दिनांक 18.7.2018 का P.D.R.Act 1952 के तहत् अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,खण्ड सांचोर द्वारा जारी किया गया है तथा न्यायालय जिला कलेक्टर के यहां दिनांक 12.12.2018 को धारा 4 P.D.R.Act 1952 के तहत् दर्ज किया गया , उसी दिन इस न्यायालय में सुनवाई हेतु अन्तरित किया गया। इस न्यायालय में दिनांक 20.12.2018को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी ने 744311 /–रूपये डी.डी. नं. 509756 दिनांक 2.8. 2018 को अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड सांचोर में जरिये सी.आर.नं. 1243 / 01 दिनांक 10.8.2018को जमा करवाया जा चुका है। प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर में दर्ज करने से पूर्व ही राशि अप्रार्थी द्वारा दि. 2.8.2018 को Under Protest जमा करवाई जा चुकी है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आज दिनांक 5.11.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.13 16:54:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: